संविदा के सामान्य सिद्धांत

प्रश्न 1 घोषणात्मक आज्ञप्ति क्या है इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से है विवेचना कीजिये

Ans**घोषणात्मक डिक्रियां**

(Declaratory Decrees)

(धारा 34-35) धारा 34 और 35 घोषणात्मक डिक्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है।

प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार (धारा 34) : धारा 34 के अनुसार–'कोई भी व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की माँग करे :

परन्तु कोई भी न्यायालय वहाँ ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहाँ कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष माँगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करे।

स्पष्टीकरण-सम्पत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में "हितबद्ध व्यक्ति" है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है, और जिसके लिए वह न्यासी होता यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता।

इस प्रकार धारा 34 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विधिक हैसियत (प्रास्थिति) का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी हकदार के लिए हकदार है वह ऐसी हैसियत या अधिकार को इन्कार करने वाले अथवा इन्कार करने में हितबद्ध (interested) व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है और इस प्रकार संस्थित वाद में न्यायालय को इस बात की घोषणा करने का विवेक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

प्राप्त है कि वह ऐसी हैसियत या अधिकार का हकदार है। वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस वाद में किसी अन्य अनुतोष की मांग करे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वादी ऐसी घोषणा के अतिरिक्त अन्य अनुतोष की मांग करने में समर्थ होते हुए भी ऐसा करने में लोप करता है तो ऐसी दशा में न्यायालय ऐसी घोषणा नहीं करेगा। इस निमित्त सम्पत्ति का न्यासी ऐसे हक को इन्कार करने में हितबद्ध व्यक्ति माना जाता है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए वह न्यासी होता, यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता। घोषणात्मक अनुतोष के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए }

(1) वाद संस्थित करने के समय वादी विधिक प्रास्थिति (हैसियत) या किसी सम्पत्ति के

बारे में किसी अधिकार का हकदार है। -

(2) प्रतिवादी ने उसकी उक्त हैसियत या अधिकार को इन्कार किया है या इन्कार करने

में हितबद्ध है।

(3) वादी ने केवल हक की घोषणा के लिए वाद संस्थित किया है और वह हक की

घोषणा के प्रति अतिरिक्त किसी अन्य अनुतोष की मांग करने के लिए हकदार नहीं

है और यदि वह हकदार है तो ऐसे अनुतोष की मांग करने में चूक नहीं किया है।

(4) परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है किअनुतोष प्रदान करने के पक्ष में विवेक का प्रयोग करना न्यायोचित है।

एक वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धारा 34 के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द 'किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई अधिकार' का वृहत् विस्तार है और इसमें

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

समाश्रितं (contingent) अधिकार भी सम्मिलित है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति के सम्बन्ध में समाश्रित (contingent) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी घोषणात्मक डिक्री के लिये वाद संस्थित कर सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि घोषणात्मक डिक्री पारित करना अथवा पारित न करना भ्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। इस उपचार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय का वैवेकिक अधिकार है। अर्थात् यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह ऐसी डिक्री प्रदान करे या न करे। घोषणात्मक अनुतोष का उपचार ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी विधिक प्रास्थिति अथवा किसी सम्पत्ति में अधिकार को खतरा उत्पन्न होता है, घोषणात्मक डिक्री कोई नया अधिकार सृजित नहीं करती है बल्कि। पहले से ही विद्यमान अधिकार की घोषणा करती है। इसमें वादी के अधिकार की घोषणा हो जाती है परन्तु प्रतिवादी को कुछ करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई भूमि है और कुछ व्यक्ति उस पर रास्ते के अधिकार का दावा करते हैं तो वह व्यक्ति घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद ला सकता है और न्यायालय घोषित कर सकता है कि उस भूमि पर रास्ते का अधिकार नहीं है।

यदि वादी ऐसे स्वत्व का दावा करता है जो अविधिमान्य और शून्य है तो उसे यह उपचार प्रदान नहीं किया जायेगा।2 वाद में उल्लिखित तथ्यों को सिद्ध करने का भार वादी पर होता है। एक वाद3 में जिस भूमि पर वादी ने दीवार उठाया था। उस भूमि का स्वामी नही था। न्यायालय ने उसके द्वारा दाखिल वाद में व्यादेश अनुज्ञात करने से इन्कार कर दिया। __ इस उपचार का दावा करने के लिए विधिक हैसियत अथवा किसी सम्पत्तिमें अधिकार होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की आयु की घोषणा उसके विधिक हैसियत की घोषणा मानी जाती है।5 कारण यह है कि आयु के आधार पर किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस कारण आयु की घोषणा केवल एक घटना की घोषणा नहीं है बल्कि विधिक हैसियत की घोषणा है। अतः इस धारा के अन्तर्गत इस आधार पर वाद "संस्थित किया जा सकता है कि उसके आयु की

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

घोषणा की जाय। इसी प्रकार म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में चुने जाने के निमित्त चुनाव में खड़े होने का अधिकार विधिक प्रकृति का अधिकार है और इसकी घोषणा के लिए वाद इस धारा में संस्थित किया जा सकता है। इस बात की घोषणा के लिए भी इस धारा के अन्तर्गत वाद लाया जा सकता है कि प्रतिवादी वादी का पुत्र नहीं है 8 अथवा उसका दत्तक पुत्र नहीं है। इसी प्रकार वादी इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकता है कि वह प्रतिवादी का पुत्र है10 अथवा मृतक व्यक्ति का वैध पुत्र11 है। इस धारा के अन्तर्गत एक महिला वाद संस्थित कर सकती है कि वह प्रतिवादी की पत्नी नहीं है।12 जाति भी किसी व्यक्ति के विधिक हैसियत को प्रमाणित करती है। जाति विधिक प्रकृति की है। अतः इस धारा के अन्तर्गत यह घोषणा कराने के लिए वाद लाया जासकता है कि वादी किसी विशिष्ट जाति का सदस्य है अथवा सदस्य नहीं है। एक वाद2 में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त स्वामित्व, कब्जा और संयुक्त प्रयोगकर्ता की घोषणा के लिए वाद बंटवारा की प्रार्थना के बिना भी पोषणीय (maintainable) है।

एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दत्तक ग्रहण (adoption) विधिमान्य है अथवा नहीं यह ऐसा प्रश्न है जिसमें व्यक्ति का विधिक चरित्र हैसियत (Status) सन्निहित है और यह धारा 34 के अन्तर्गत आता है और इसकी घोषणा के निमित्त वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय है और इसको केवल सिविल न्यायालय ही विनिश्चित कर सकती है। इस प्रकार यदि सम्पत्ति में वंशानुगत हित अथवा अधिकार दत्तकग्रहण पर आधारित है तो दत्तकग्रहण की विधिमान्यता का निर्धारण सिविल न्यायालय करेगा।

एक वाद4 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पूजा करने का अधिकार सिविल अधिकार है और ऐसे अधिकार को घोषित करने हेतु घोषणात्मक डिक्री पारित की जा सकती है। इस अधिकार में हस्तक्षेप रोकने हेतु व्यादेश भी जारी किया जा सकता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

रामजीवन राय बनाम **देवकीनन्दन राय** के वाद में धारा 34 के अन्तर्गत स्वत्व की घोषणा हेतु वाद संस्थित किया गया। वादी के पक्ष में किये गये विक्रय-विलेख में भूमि की चौहद्दी और प्लाट नम्बर दिया गया था। परन्तु प्लाट नम्बर गलत था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चौहद्दी देने के कारण भूमि को पहचाना जा सकता था और केवल इस आधार पर वादी के स्वत्व को इन्कार नहीं किया जा सकता। प्लाट नम्बर में भूल, केवल भूमि का विवरण देने में अशुद्धि थी जो कि विक्रय की गई भूमि की पहचान को प्रभावित नहीं करती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस बात का यथार्थ साक्ष्य था कि विक्रेता का आशय क्रेता को उस भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व और अधिकार अन्तरित करने का था और चौहद्दी दिये जाने के कारण विक्रय की गई भूमि को पहचाना जा सकता था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा **शिवध्यान सिंह** बनाम **शनिचरा कंवर**में दिये गये निर्णय का अनुसरण किया गया। इस वादा में प्लाट नम्बर द्वारा सम्पत्ति की पहचान स्थापित किये जाने पर विक्रय को विधिमान्य ठहराया गया और केवल सम्पति के विवरण में अशुद्धि के कारण अवैध और शून्य नहीं ठहराया गया।

निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री में कुछ जोड़ नहीं सकता और न ही उसमें परिवर्तन कार सकता है।।

इस धारा के अन्तर्गत इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है कि दस्तावेज पर उसका हस्ताक्षर जाली है और उसका हस्ताक्षर नहीं है।2

धारा 34 के परन्तुक से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय घोषणात्मक डिक्री वहाँ पारित नहीं करेगा जहाँ कि हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष की मांग करने के योग्य होते हुए भी वादी उसकी मांग करने में चूक करता है। इस परन्तुक का प्रयोजन बाद बाहुल्य को रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि यदि वादी ने अन्य अनुतोष की मांग नहीं की है। और वाद-पत्र में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

संशोधन करके उसे जोड़ना चाहता है तो न्यायालय उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

रामजी राय ब० **जगदीश मल्लाह** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वादी द्वारा भूमि के उसके कब्जे में हस्तक्षेप रोकने के लिए स्थायी व्यादेश (permanent injunction) हेतु दाखिल वाद में उसे यह सिद्ध करना आवश्यक है कि भूमि उसके कब्जे में रही है। यदि वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाता है, तो उसका वाद खारिज किया जा सकता है। परन्तु कब्जा सिद्ध न कर पाने के कारण केवल इसी आधार पर ऐसा घोषित करना कि वादी उस सम्पत्ति का स्वामी नहीं है, उचित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वादी को सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त है तो उसके द्वारा घोषणात्मक डिक्री हेतु दाखिल वाद पोषणीय होगा। परन्तु यदि उसे कब्जा प्राप्त नहीं है तो ऐसी दशा में केवल घोषणात्मक डिक्री के लिए दाखिल वाद पोषणीय नहीं होगा। _यह उल्लेखनीय है कि स्वत्व के आधार पर कब्जा प्राप्त करने के वाद में यदि वादी स्वत्व की उच्च डिग्री की सम्भावना सृजित कर देता है तो यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर चला जाता है कि वादी को स्वत्व प्राप्त नहीं है और यदि वह ऐसा सिद्ध करने में असफल रहता है, तो वादी का स्वत्व सिद्ध करने में असफल रहता है, तो वादी का स्वत्व सिद्ध हुआ माना जायेगा।

एक वादमें न्यायालय ने निर्णय दिया है कि स्वत्व (title) घोषित करने के वाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष जिसके द्वारा प्रतिवादी का वाद से सम्बन्धित भूमि पर कब्जा घोषित किया गया है, सिविल न्यायालय पर बन्धन कारी नहीं है। परिणामस्वरूप सिविल न्यायालय साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अपने तरीके से वाद विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र है।

यह उल्लेखनीय है कि घोषणात्मक उपचार के सम्बन्ध में धारा 34 पूर्ण नहीं है और सिविल प्रक्रिया संहिता के सामान्य उपबन्धों के अन्तर्गत भी उपचार प्राप्त

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

करने के लिए वाद लाया जा सकता है।7 धारा 34 का प्रयोजन भविष्य में स्वत्व सम्बन्धी मुकदमें को रोकता है।

घोषणा का प्रभाव (धारा 35) : धारा 35 के अनुसार इस अध्याय के अधीन की गई घोषणा केवल वाद के पक्षकार और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है और जहाँ कि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहाँउन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती हे जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता।

इस प्रकार धारा 35 स्पष्ट कर देती है कि घोषणात्मक डिक्री समस्त व्यक्तियों पर बन्धनकारी नहीं होती है। यह निम्नलिखित पर ही बन्धनकारी होती है

(i) वाद के पक्षकार।

(ii) वाद के पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति।
(iii) यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी है तो ऐसी दशा में यह उन व्यक्तियों पर ही

बन्धनकारी होती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते, यदि घोषणा की तिथि को उनका अस्तित्व होता।

Pgs National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

प्रश्न 2 संविदाओं के खण्डन से आप क्या समझते है

Ans**संविदाओं का विखंडन**

(धारा 27-30)

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारायें 27-30 संविदाओं के विखंडन के सम्बन्ध में उपबन्ध करती हैं। संविदा के विखंडन का उपचार संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन के उपचार के विपरीत है। संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन की दशा में पक्षकारों को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का आदेश दिया जाता है जबकि संविदा के विखंडन के आदेश की दशा में संविदा शून्य घोषित की जाती है और वह पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं रह जाती है।

संविदा के विखंडन के लिए वाद संविदा के हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है। धारा 27 यह स्पष्ट कर देती है कि किसी संविदा के हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको विखंडित कराने के लिए वाद लाया जा सकता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

धारा 27 के उपबन्ध इस प्रकार हैं"

(1) किसी संविदा के हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद लासकेगा और ऐसा विखंडन निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी न्यायालय द्वारा न्यायनिणीत किया जा सकेगा, अर्थात

(क) जहाँ कि संविदा वादी द्वारा शून्यकरणीय या पर्यवसेय हो;

(ख) जहाँ कि संविदा ऐसे हेतुकों से विधिविरुद्ध हो जो उसके देखने से ही प्रकट नहीं है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय संविदा का विखंडन नामंजूर कर सकेगा

(क) जहाँ कि वादी ने अभिव्यक्ततः या विवक्षिततः संविदा का अनुसमर्थन कर दियाहै; अथवा

(ख) जहाँ कि परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण, जो संविदा के किए जाने केपश्चात् (स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं) हो गई हो, पक्षकारों को उसी स्थिति में सारतः प्रत्यावर्तित न किया जा सके जिसमें वे सब थे जब संविदा की गई थी; अथवा

(ग) जहाँ कि संविदा के अस्तित्व के दौरान पर व्यक्तियों ने सद्भावपूर्वक सूचना केबिना और मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिए हों, अथवा

(घ) जहाँ कि संविदा के केवल एक भाग के ही विखंडन की मांग की गई हो औरऐसा भाग संविदा के शेष भाग से पृथक् न किया जा सकता हो।

स्पष्टीकरण- इस धारा में संविदा से उन राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में, जिन पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) का विस्तार नहीं है, लिखत "संविदा" अभिप्रेत है। संविदा के हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा उसे विखंडित कराने के लिए वाद लाने पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में विखंडन का आदेश दे सकता है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

(क) यदि संविदा वादी द्वारा शून्यकरणीय या पर्यवसेय (terminable) है।

(ख) यदि संविदा ऐसे कारणों से अवैध है जो कि देखने से ही प्रकट नहीं है और प्रतिवादीका दोष वादी से अधिक है।

इस धारा से स्पष्ट हो जाता है कि संविदा विखंडित कराने के उपचार का दावा केवल संविदा के पक्षकार ही नहीं कर सकते बल्कि उसमें हितबद्ध कोई भी व्यक्ति संविदा को विखंडित कराने के लिए वाद ला सकता है। यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता संविदा करता है और यह संविदा परिवार के किसी सदस्य के साथ कपट के रूप में है तो उक्त सदस्य इसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकता है। जिसकी सम्मति इस प्रकार असम्यक् असर द्वारा प्राप्त की गई है। धारा 39 के अनुसार जब संविदा का एक पक्षकार संविदा का पालन नहीं करता है जबकि विधि के अन्तर्गत वह उसका पालन करने के लिए बाध्य है तो दूसरा पक्षकार भी उस संविदा के पालन के दायित्व से मुक्त हो जाता है और वह संविदा-भंग के कारण होने वाली हानि के लिए संविदा-भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर वसूल कर सकता है। इस प्रकार धारा 39 के अनुसार जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इन्कार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो तब वचन-ग्रहीता संविदा का अन्त कर सकता है। यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। धारा 53 के अनुसार जब किसी संविदा में व्यतिकारी वचन (पारस्परिक वचन) अन्तर्विष्ट है और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से रोकता है तब वह संविदा इस प्रकार रोकने वाले पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े। दूसरे पक्षकार से प्रतिकर पाने का हकदार है। धारा 55 से स्पष्ट हो जाता है कि यदि समय संविदा का मर्म है और पक्षकार किसी उल्लिखित समय पर या उससे पूर्व करने का वचन देता है और ऐसा करने में असफल रहता है तो संविदा वचनग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

उपर्युक्त खंड (ख) से स्पष्ट हो जाता है कि यदि संविदा ऐसे कारणों से अवैध है जो कि देखते ही प्रकट नहीं है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है तो न्यायालय संविदा को विखंडित करने का आदेश दे सकता है।

(क) जहाँ कि वादी ने अभिव्यक्ततः या विवक्षिततः संविदा का अनुसमर्थन किया है;

या

(ख) जहाँ कि परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण जो संविदा के किए जाने केपश्चात् (स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं) हो गई हो, पक्षकारों को सारतः उस स्थिति में नहीं रखा जा सकता जिसमें वे संविदा के समय थे।

(3) जहाँ कि संविदा के अस्तित्व के दौरान पर-व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक सूचना के बिनाऔर मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिया है।

(4) जहाँ कि संविदा के केवल एक भाग के विखंडन की मांग की गई हो और ऐसाभाग संविदा के शेष भाग से पृथक नहीं किया जा सकता। इस धारा के स्पष्टीकरण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस धारा में संविदा का अर्थ, जिन क्षेत्रों में सम्पत्ति अन्तरण, अधिनियम, 1882 लागू नहीं है, लिखित संविदा से है। स्थावर (अचल) सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो, कतिपय परिस्थितियों में विखंडन।

(धारा 28) : धारा 28 (1)के अनुसार जहाँ कि, किसी वाद में स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो और क्रेता या पट्टेदार डिक्री द्वारा अनुज्ञात कालावधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर, जो न्यायालय, अनुज्ञात करे, विक्रय धन या अन्य राशि, जिसे देने के लिए न्यायालय ने उसे आदेश दिया हो, न दे, वहाँ विक्रेता या पट्टाकर्ता उसी वाद में, जिसमें डिक्री की गई है, संविदा के विखंडित किए जाने का आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन पर न्यायालय आदेश द्वारा संविदा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

को, या तो वहाँ तक जहाँ तक कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार का सम्बन्ध है, या सम्पूर्णतः, जैसा भी मामले में न्याय द्वारा अपेक्षित हो, विखंडित कर सकेगा। धारा 28 (2) के अनुसार जहाँ कि उपधारा (1) के अधीन संविदा विखंडित कर दी गई हो, वहाँ न्यायालय

(क) यदि क्रेता या पट्टेदार ने संविदा के अधीन सम्पत्ति का कब्जा अभिप्राप्त कर लिया हो,तो न्यायालय उसे निदेश देगा कि वह विक्रेता या पट्टाकर्ता को कब्जा प्रत्यावर्तित करदेतथा

(ख) ऐसे सब भाटकों और लाभों का संदाय जो सम्पत्ति के सम्बन्ध में उस तारीख सेजिसको क्रेता या पट्टेदार द्वारा ऐसा कब्जा अभिप्राप्त किया गया था, विक्रेता या पट्टाकर्ता को कब्जे के प्रत्यावर्तन तक प्रोद्भूत हुए हों, विक्रेता या पट्टाकर्ता को किएजाने के लिए और यदि मामले में न्याय द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो संविदा के सम्बन्ध . में अग्रिम धन या निक्षेप के तौर पर क्रेता या पट्टेदार द्वारा दी गई किसी राशि केप्रतिदाय के लिए निदेश दे सकेगा।

प्रश्न 3 घोषणात्मक आज्ञप्ति से आप क्या समझते है उन परिस्तिथियों का वर्णन कीजिये जिनमे घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित की जा सकती है

Ans **घोषणात्मक डिक्रियां**

(Declaratory Decrees)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

(धारा 34-35) धारा 34 और 35 घोषणात्मक डिक्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है।

प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार (धारा 34) : धारा 34 के अनुसार–'कोई भी व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की माँग करे :

परन्तु कोई भी न्यायालय वहाँ ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहाँ कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष माँगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करे।

स्पष्टीकरण-सम्पत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में "हितबद्ध व्यक्ति" है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है, और जिसके लिए वह न्यासी होता यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता।

इस प्रकार धारा 34 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विधिक हैसियत (प्रास्थिति) का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी हकदार के लिए हकदार है वह ऐसी हैसियत या अधिकार को इन्कार करने वाले अथवा इन्कार करने में हितबद्ध (interested) व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है और इस प्रकार संस्थित वाद में न्यायालय को इस बात की घोषणा करने का विवेक प्राप्त है कि वह ऐसी हैसियत या अधिकार का हकदार है। वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस वाद में किसी अन्य अनुतोष की मांग करे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वादी ऐसी घोषणा के अतिरिक्त अन्य अनुतोष की मांग करने में समर्थ होते हुए भी ऐसा करने में लोप करता है तो ऐसी दशा में न्यायालय ऐसी घोषणा नहीं करेगा। इस निमित्त सम्पत्ति का

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

न्यासी ऐसे हक को इन्कार करने में हितबद्ध व्यक्ति माना जाता है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए वह न्यासी होता, यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता। घोषणात्मक अनुतोष के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए }

(1) वाद संस्थित करने के समय वादी विधिक प्रास्थिति (हैसियत) या किसी सम्पत्ति के

बारे में किसी अधिकार का हकदार है। -

(2) प्रतिवादी ने उसकी उक्त हैसियत या अधिकार को इन्कार किया है या इन्कार करने

में हितबद्ध है।

(3) वादी ने केवल हक की घोषणा के लिए वाद संस्थित किया है और वह हक की

घोषणा के प्रति अतिरिक्त किसी अन्य अनुतोष की मांग करने के लिए हकदार नहीं

है और यदि वह हकदार है तो ऐसे अनुतोष की मांग करने में चूक नहीं किया है।

(4) परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है किअनुतोष प्रदान करने के पक्ष में विवेक का प्रयोग करना न्यायोचित है।

एक वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धारा 34 के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द 'किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई अधिकार' का वृहत् विस्तार है और इसमें समाश्रित (contingent) अधिकार भी सम्मिलित है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति के सम्बन्ध में समाश्रित (contingent) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी घोषणात्मक डिक्री के लिये वाद संस्थित कर सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि घोषणात्मक डिक्री पारित करना अथवा पारित न करना भ्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। इस उपचार का दावा अधिकार के रूप

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

में नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय का वैवेकिक अधिकार है। अर्थात् यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह ऐसी डिक्री प्रदान करे या न करे। घोषणात्मक अनुतोष का उपचार ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी विधिक प्रास्थिति अथवा किसी सम्पत्ति में अधिकार को खतरा उत्पन्न होता है, घोषणात्मक डिक्री कोई नया अधिकार सृजित नहीं करती है बल्कि। पहले से ही विद्यमान अधिकार की घोषणा करती है। इसमें वादी के अधिकार की घोषणा हो जाती है परन्तु प्रतिवादी को कुछ करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई भूमि है और कुछ व्यक्ति उस पर रास्ते के अधिकार का दावा करते हैं तो वह व्यक्ति घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद ला सकता है और न्यायालय घोषित कर सकता है कि उस भूमि पर रास्ते का अधिकार नहीं है।

यदि वादी ऐसे स्वत्व का दावा करता है जो अविधिमान्य और शून्य है तो उसे यह उपचार प्रदान नहीं किया जायेगा।2 वाद में उल्लिखित तथ्यों को सिद्ध करने का भार वादी पर होता है। एक वाद3 में जिस भूमि पर वादी ने दीवार उठाया था। उस भूमि का स्वामी नही था। न्यायालय ने उसके द्वारा दाखिल वाद में व्यादेश अनुज्ञात करने से इन्कार कर दिया। __ इस उपचार का दावा करने के लिए विधिक हैसियत अथवा किसी सम्पत्तिमें अधिकार होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की आयु की घोषणा उसके विधिक हैसियत की घोषणा मानी जाती है।5 कारण यह है कि आयु के आधार पर किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस कारण आयु की घोषणा केवल एक घटना की घोषणा नहीं है बल्कि विधिक हैसियत की घोषणा है। अतः इस धारा के अन्तर्गत इस आधार पर वाद "संस्थित किया जा सकता है कि उसके आयु की घोषणा की जाय। इसी प्रकार म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में चुने जाने के निमित्त चुनाव में खड़े होने का अधिकार विधिक प्रकृति का अधिकार है और इसकी घोषणा के लिए वाद इस धारा में संस्थित किया जा सकता है। इस बात की घोषणा के लिए भी इस धारा के अन्तर्गत वाद लाया जा सकता है कि प्रतिवादी वादी का पुत्र नहीं है 8 अथवा उसका दत्तक पुत्र नहीं है। इसी प्रकार

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

वादी इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकता है कि वह प्रतिवादी का पुत्र है10 अथवा मृतक व्यक्ति का वैध पुत्र11 है। इस धारा के अन्तर्गत एक महिला वाद संस्थित कर सकती है कि वह प्रतिवादी की पत्नी नहीं है।12 जाति भी किसी व्यक्ति के विधिक हैसियत को प्रमाणित करती है। जाति विधिक प्रकृति की है। अतः इस धारा के अन्तर्गत यह घोषणा कराने के लिए वाद लाया जासकता है कि वादी किसी विशिष्ट जाति का सदस्य है अथवा सदस्य नहीं है। एक वाद2 में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त स्वामित्व, कब्जा और संयुक्त प्रयोगकर्ता की घोषणा के लिए वाद बंटवारा की प्रार्थना के बिना भी पोषणीय (maintainable) है।

एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दत्तक ग्रहण (adoption) विधिमान्य है अथवा नहीं यह ऐसा प्रश्न है जिसमें व्यक्ति का विधिक चरित्र हैसियत (Status) सन्निहित है और यह धारा 34 के अन्तर्गत आता है और इसकी घोषणा के निमित्त वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय है और इसको केवल सिविल न्यायालय ही विनिश्चित कर सकती है। इस प्रकार यदि सम्पत्ति में वंशानुगत हित अथवा अधिकार दत्तकग्रहण पर आधारित है तो दत्तकग्रहण की विधिमान्यता का निर्धारण सिविल न्यायालय करेगा।

एक वाद4 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पूजा करने का अधिकार सिविल अधिकार है और ऐसे अधिकार को घोषित करने हेतु घोषणात्मक डिक्री पारित की जा सकती है। इस अधिकार में हस्तक्षेप रोकने हेतु व्यादेश भी जारी किया जा सकता है।

रामजीवन राय बनाम **देवकीनन्दन राय** के वाद में धारा 34 के अन्तर्गत स्वत्व की घोषणा हेतु वाद संस्थित किया गया। वादी के पक्ष में किये गये विक्रय-विलेख में भूमि की चौहद्दी और प्लाट नम्बर दिया गया था। परन्तु प्लाट नम्बर गलत था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चौहद्दी देने के कारण भूमि को पहचाना जा सकता था और केवल इस आधार पर वादी के स्वत्व को इन्कार नहीं किया जा सकता। प्लाट नम्बर में भूल, केवल भूमि का विवरण देने में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अशुद्धि थी जो कि विक्रय की गई भूमि की पहचान को प्रभावित नहीं करती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस बात का यथार्थ साक्ष्य था कि विक्रेता का आशय क्रेता को उस भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व और अधिकार अन्तरित करने का था और चौहद्दी दिये जाने के कारण विक्रय की गई भूमि को पहचाना जा सकता था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा **शिवध्यान सिंह** बनाम **शनिचरा कंवर**में दिये गये निर्णय का अनुसरण किया गया। इस वादा में प्लाट नम्बर द्वारा सम्पत्ति की पहचान स्थापित किये जाने पर विक्रय को विधिमान्य ठहराया गया और केवल सम्पति के विवरण में अशुद्धि के कारण अवैध और शून्य नहीं ठहराया गया।

निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री में कुछ जोड़ नहीं सकता और न ही उसमें परिवर्तन कार सकता है।।

इस धारा के अन्तर्गत इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है कि दस्तावेज पर उसका हस्ताक्षर जाली है और उसका हस्ताक्षर नहीं है।2

धारा 34 के परन्तुक से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय घोषणात्मक डिक्री वहाँ पारित नहीं करेगा जहाँ कि हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष की मांग करने के योग्य होते हुए भी वादी उसकी मांग करने में चूक करता है। इस परन्तुक का प्रयोजन बाद बाहुल्य को रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि यदि वादी ने अन्य अनुतोष की मांग नहीं की है। और वाद-पत्र में संशोधन करके उसे जोड़ना चाहता है तो न्यायालय उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

रामजी राय ब० **जगदीश मल्लाह** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वादी द्वारा भूमि के उसके कब्जे में हस्तक्षेप रोकने के लिए स्थायी व्यादेश (permanent injunction) हेतु दाखिल वाद में उसे यह सिद्ध करना आवश्यक है कि भूमि उसके कब्जे में रही है। यदि वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाता है, तो उसका वाद खारिज किया जा सकता है। परन्तु कब्जा सिद्ध न कर पाने

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

के कारण केवल इसी आधार पर ऐसा घोषित करना कि वादी उस सम्पत्ति का स्वामी नहीं है, उचित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वादी को सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त है तो उसके द्वारा घोषणात्मक डिक्री हेतु दाखिल वाद पोषणीय होगा। परन्तु यदि उसे कब्जा प्राप्त नहीं है तो ऐसी दशा में केवल घोषणात्मक डिक्री के लिए दाखिल वाद पोषणीय नहीं होगा। _यह उल्लेखनीय है कि स्वत्व के आधार पर कब्जा प्राप्त करने के वाद में यदि वादी स्वत्व की उच्च डिग्री की सम्भावना सृजित कर देता है तो यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर चला जाता है कि वादी को स्वत्व प्राप्त नहीं है और यदि वह ऐसा सिद्ध करने में असफल रहता है, तो वादी का स्वत्व सिद्ध करने में असफल रहता है, तो वादी का स्वत्व सिद्ध हुआ माना जायेगा।

एक वादमें न्यायालय ने निर्णय दिया है कि स्वत्व (title) घोषित करने के वाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष जिसके द्वारा प्रतिवादी का वाद से सम्बन्धित भूमि पर कब्जा घोषित किया गया है, सिविल न्यायालय पर बन्धन कारी नहीं है। परिणामस्वरूप सिविल न्यायालय साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अपने तरीके से वाद विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र है।

यह उल्लेखनीय है कि घोषणात्मक उपचार के सम्बन्ध में धारा 34 पूर्ण नहीं है और सिविल प्रक्रिया संहिता के सामान्य उपबन्धों के अन्तर्गत भी उपचार प्राप्त करने के लिए वाद लाया जा सकता है।7 धारा 34 का प्रयोजन भविष्य में स्वत्व सम्बन्धी मुकदमें को रोकता है।

घोषणा का प्रभाव (धारा 35) : धारा 35 के अनुसार इस अध्याय के अधीन की गई घोषणा केवल वाद के पक्षकार और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है और जहाँ कि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहाँउन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती हे जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

इस प्रकार धारा 35 स्पष्ट कर देती है कि घोषणात्मक डिक्री समस्त व्यक्तियों पर बन्धनकारी नहीं होती है। यह निम्नलिखित पर ही बन्धनकारी होती है

(i) वाद के पक्षकार।

(ii) वाद के पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति।
(iii) यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी है तो ऐसी दशा में यह उन व्यक्तियों पर ही

बन्धनकारी होती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते, यदि घोषणा की तिथि को उनका अस्तित्व होता।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.